धारा 14 : कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं है और कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हैं :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ से [1][पांच वर्ष] की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, रखा जाएगा।

---

1 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) द्वारा ''तीन वर्ष'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। दिनांक 27.03.2020 से प्रभावशील किया गया।